कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम, देहरादून की निष्प्रोज्य डीजल वाहन संख्या यू.ए. 07–5136 (टिप्पर ट्रक) मॉडल 2001, वाहन सं0 यू.ए. 07–5751 (टिप्पर ट्रक) मॉडल 2001, वाहन संख्या– यू.पी. 07–9739 (एस्कोर्ट लोडर) मॉडल 1998, वाहन सं0– यू.जी.ए.– 9496 (टाटा ट्रक) मॉडल 1989, वाहन सं0– यू.ए.07 ई– 7072 (आईशर ट्रक) मॉडल 2003, वाहन सं0– यू.ए.07 ई– 7073 (स्वराज माजदा ट्रक) मॉडल 2003, वाहन सं0– यू.ए.07 ई– 7074 (स्वराज माजदा ट्रक) मॉडल 2003, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28/07/2017 को अपराह्न 11–00 बजे नगर निगम, देहरादून मयूर विहार स्थित (वर्कशॉप) में नीलामी हेतु गठित समिति के सम्मुख वेबसाइट पर अपलोड़ शर्तो पर की जायेगी। वाहनों के निरीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित वर्कशाप में निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचना शर्ते एवं विवरण नगर निगम देहरादून की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

नीलामी की शर्तेः–

1 प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली से पूर्व रू0 15000/– प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग नकद धनराशि के रूप में विभाग के लेखा अनुभाग में जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है। धरोहर राशि बोली की समाप्ति पर (उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।

2 किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकर कराने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण बताए किसी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।

3 नीलामी में कोई व्यक्ति तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक कि नीलामी में उपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हों।

4 बोली के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमित्ता की संज्ञान में आने पर बोली निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।

5 उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के बाद सांय 4 बजे तक बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

6 सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने के 07 दिन के भीतर बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि जमा कर, एक सप्ताह के भीतर वाहन उठाना होगा।

7 अन्तिम स्वीकृति के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

8 वाहनों की नीलामी जहां है, जैसी है की स्थिति में है, के आधार पर की जायेगी। उच्चतम बोलीदाता को व्यापार कर, सरचार्ज, वैट आदि अलग से जमा करना होगा।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः– 2235(U.)   दिनॉकः– 6/7/17

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 नगर आयुक्त महोदया को उनके आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2 ~~द ट्रिब्यून~~ पायनियर समाचार पत्र को इस आशय से की उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन डी0ए0वी0पी0 दरों पर नियमानुसार आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3 सम्पादक–दैनिक जागरण, समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने व्यवसायिक दरों में 15 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए देहरादून व उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4 सम्पादक–अमर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपनी व्यवसायिक दरों में 35 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए देहरादून व उत्तराखण्ड संस्करण में नियमानुसार आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

5 आई0टी0 आफिसर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वाहनों की सर्वजानिक नीलामी सूचना नगर निगम की वेबसाईट पर डाऊनलोड करना सुनिशिचत करें।

6 नगर निगम कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।